प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत सड़क बाधा शुल्क 5800 रूपये वसूल किए

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त बनाने लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्रायः देखने में आ रहा है कि शहर के नागरिक एवं प्रतिष्ठान संचालकों द्वारा सिंगलयूज प्लास्टिक प्रतिबंध होने के बाद भी प्लास्टिक का उपयोग कर रहे है। इनके उपर बार–बार चालानी कार्यवाही करते हुए समझाइस भी दिया जाता है। फिर भी नागरिक एवं प्रतिष्ठान संचालकों द्वारा प्लास्टिक में सामग्री डालकर खरीदा एवं बेचा जा रहा है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था में बाधा हो रहा है।

निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली के नेतृत्य में जोन–1 नेहरू नगर स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी एवं उनकी टीम द्वारा वार्ड क्रं. 17 आकाश गंगा के हिमालय काम्पलेक्स के पास प्रतिष्ठान सिंगलयूज प्लास्टिक रखने, सड़का बाधा पाये जाने पर 2900 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई है। रोहित गुप्ता 300, अब्दुल मुकीम पान पैलेस 300, शिवा चाय नाश्ता सेंटर 300 एवं आदित्य गोलछा से 2000 रूपये तक कार्यवाही किया गया है। इसी प्रकार अन्य स्थलों से भी 2900 रूपये की चालानी कार्यवाही की गई है।